



## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बनो इसके किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई अस्तर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मालिकत्व या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री अखीम क्लिन्स प्रो.डमी

पिता/पति का नाम श्री श.रत्न शर्मा  
मुहल्ला (5) लोहापल टिया गेटे ताई नम्बर इलाहाबाद 7

में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के अधिन भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।



### नोट :-

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत राश्वह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्राजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़िया, सीढ़ी, डाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति वाले उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।

3. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकर के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंजिनेयर्स इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।




5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदगी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

6. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।




*Received the copy of N/A/T*  
*SE*

*02/12/20/08*

प्रस्तावित - प्रोजेक्ट - एन. आर. सी. 5, लाजपत राय रोड, अलाहाबाद - 3



Handwritten notes and a circular stamp in the top right corner.





DOOR & WINDOW SCHEDULE:-

DOOR 1 - 1500 X 3000
DOOR 2 - 900 X 3000
DOOR 3 - 750 X 3000
WINDOW - 2000 X 2250
WINDOW 1 - 1000 X 2250
VENTILATOR - 900 X 600

AREA CHART:

PARTICULAR	EXISTING AREA	PROPOSED AREA	TOTAL AREA	COVERAGE	OPEN SPACE	F.A.R.
1. COVERED AREA ON BASEMENT (PARKING)	532.27 Sqm	202.26 Sqm	734.53 Sqm	58.99%	-	-
2. COVERED AREA ON GROUND FLOOR	532.27 Sqm	710.56 Sqm	1242.83 Sqm	58.99%	395.59 Sqm	-
3. COVERED AREA ON FIRST FLOOR	497.44 Sqm	202.36 Sqm	699.80 Sqm	52.86%	-	-
4. COVERED AREA ON SECOND FLOOR	280.00 Sqm	-	280.00 Sqm	21.14%	-	-
5. TOTAL	1329.71 Sqm	405.12 Sqm	1734.83 Sqm	-	-	1.309
6. F.A.R. COVERED	-	-	-	-	-	1.309



PROPOSED ADDITION AT NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 5, LAJPAT RAI ROAD, ALLAHABAD

Architectural firm information including GUNJA & ASSOCIATES, Allahabad, and contact details for Krishna Mishra, General Secretary.